

बाल यौन अपराधों से संरक्षण: POCSO अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

ज्योत्सना सिंह* एव डॉ. प्रशान्त मिश्रा**

*शोध छात्रा(विधि) बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी
सहायक आचार्य, बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी

सारांश :

बच्चे समाज के सबसे संवेदनशील और कमजोर वर्गों में से एक हैं। उनके खिलाफ यौन अपराधों की बढ़ती घटनाएं मजबूत कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाती हैं। भारत में, बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कानून हैं। यह शोध इन कानूनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, जिसमें अपराधों की रोकथाम, न्याय प्रदान करना, और पीड़ित बच्चों की देखभाल शामिल है। यह शोध कार्यान्वयन में चुनौतियों, जैसे संस्थागत कमियाँ, कानून लागू करने की बाधाएँ, और न्यायिक व्याख्याओं की जांच करता है। यह बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति और प्रक्रियात्मक संवेदनशीलता के साथ कानूनी प्रावधानों के अंतर्संबंध को भी उजागर करता है। प्रासंगिक न्यायिक मामलों, नीतिगत ढाँचों, और वास्तविक परिस्थितियों के विश्लेषण के माध्यम से, यह पेपर इन कानूनों की सफलता का आकलन करता है और बच्चों के लिए सुरक्षात्मक तंत्र को मजबूत करने के लिए रचनात्मक सुझाव देता है। यह सामाजिक कलंक, विलांबित न्याय, बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं की कमी, और हितधारकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करता है।

1. परिचय:

बच्चों को इतिहास में हमेशा से क्रूरता, उपेक्षा, और यौन शोषण जैसे अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। बाल यौन शोषण (CSA) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऐसी यौन गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है जिसमें बच्चा शामिल होता है, लेकिन वह इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता, सहमति देने में असमर्थ है, या जो सामाजिक और कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करता है। भारत में 37% आबादी 18 वर्ष से कम आयु की है, और इनमें से कई बच्चे शिक्षा, पोषण, और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण में पाया गया कि 12,447 बच्चों में से 53% ने यौन शोषण का सामना किया, जिसमें से 20% गंभीर यौन शोषण था। 2019 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, बच्चों के खिलाफ अपराधों में 31.9% मामले POCSO अधिनियम से संबंधित थे, और 94.2% मामलों में अपराधी पीड़ित के लिए जाना-माना व्यक्ति था।

POCSO अधिनियम, 2012 यौन हमले, यौन उत्पीड़न, और अश्लीलता से बच्चों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बच्चों की देखभाल और पुनर्वास पर केंद्रित है। फिर भी, इन कानूनों के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे सामाजिक कलंक, न्याय में देरी, और बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं की कमी। यह शोध इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और सुधार के लिए रणनीतियों की जांच करता है।

2. समस्या कथन :

भारत में बाल यौन शोषण की बढ़ती घटनाएं और जनता का आक्रोश बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता को दर्शाता है। POCSO अधिनियम, 2012 के बावजूद, कई कमियाँ इसकी प्रभावशीलता को कम करती हैं:

1. चिकित्सा जांच के लिए सहमति: यदि बच्चा चिकित्सा जांच से इंकार करता है, लेकिन परिवार या जांच अधिकारी इसकी मांग करता है, तो POCSO में स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी है।

2. चिकित्सा जांच में असंगति: POCSO के अनुसार, महिला बच्चों की जांच महिला डॉक्टर द्वारा होनी चाहिए, लेकिन आपातकालीन स्थिति में यह संभव नहीं हो पाता।
3. उपचार लागत: मुफ्त चिकित्सा उपचार का प्रावधान है, लेकिन यदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो लागत की प्रतिपूर्ति में देरी होती है।
4. सहमति युक्त यौन संबंध: POCSO में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के बीच यौन संबंध को अपराध माना जाता है, भले ही सहमति हो।
5. विशेष अदालतों की कमी: कई राज्यों में विशेष अदालतें और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किए गए हैं।
6. प्रशिक्षण की कमी: पुलिस, न्यायाधीशों, और अन्य हितधारकों को बाल यौन शोषण से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
7. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भूमिका: यौन शोषण के मामलों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कमी है।
8. रिपोर्टिंग की कमी: सामाजिक कलंक और पुनर्विक्तिमाइजेशन के डर के कारण अधिकांश मामले दर्ज नहीं होते।

3. शोध के उद्देश्य :

इस शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. भारत में बाल यौन शोषण की व्यापकता और प्रकारों का मूल्यांकन करना।
2. किशोर न्याय प्रणाली (JJS) की वर्तमान स्थिति और इसकी कमियों का अध्ययन करना।
3. बाल यौन शोषण के दीर्घकालिक प्रभावों और परामर्श की आवश्यकता का विश्लेषण करना।
4. बाल शोषण को रोकने और संबोधित करने के लिए रणनीतियों और कार्यक्रमों की जांच करना।
5. POCSO अधिनियम, 2012 की जांच प्रक्रिया की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
6. बच्चों के लिए देखभाल, शिक्षा, और सुरक्षा की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना।

4. शोध प्रश्न :

1. समाज अब बाल यौन शोषण के प्रति अधिक चिंतित क्यों है?
2. साक्ष्य के मुख्य स्रोत क्या हैं?
3. बाल यौन शोषण का पीड़ित पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. बच्चों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?
5. भारत और अन्य देशों में बाल यौन शोषण से संबंधित कानून क्या हैं?
6. POCSO अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 कितने प्रभावी हैं और इनका कार्यान्वयन कैसा है?

5. शोध कार्यप्रणाली:

यह शोध मुख्य रूप से दस्तावेजी शोध (Doctrinal Research) पर आधारित है, जिसमें कानूनी प्रावधानों, न्यायिक मामलों, और नीतियों का विश्लेषण शामिल है। वर्णनात्मक पद्धति का उपयोग तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है, और जहां आवश्यक हो, विश्लेषणात्मक पद्धति लागू की गई है। प्राथमिक स्रोतों (जैसे सरकारी दस्तावेज) और द्वितीयक स्रोतों (जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, और इंटरनेट) से डेटा एकत्र किया गया है। यह अध्ययन बाल यौन शोषण और किशोर न्याय से संबंधित कानूनी पहलुओं के ज्ञान को समृद्ध करता है।

6. बाल यौन शोषण की अवधारणा और प्रकार :

बाल यौन शोषण एक गंभीर समस्या है, जो भारत में सामाजिक कलंक और चुप्पी के कारण और जटिल हो जाती है। इसके प्रमुख कारण हैं:

- सेक्स और यौनिकता पर चर्चा का अभाव: भारत में यौन शिक्षा और जागरूकता की कमी बच्चों को असुरक्षित बनाती है।
- लिंग-आधारित हिंसा की स्वीकृति: सामाजिक मानदंडों में लिंग-आधारित हिंसा को कभी-कभी स्वीकार किया जाता है।
- वयस्कों को बच्चों से अधिक महत्व: बच्चों की आवाज को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

बाल यौन शोषण के प्रकार:

1. शारीरिक शोषण: बच्चे को चोट पहुंचाना, जैसे मारना या जलाना।
2. यौन शोषण: अवांछित यौन व्यवहार, जैसे छेड़छाड़, बलात्कार, या अश्लीलता।
3. भावनात्मक शोषण: बच्चे को अपमानित करना या डराना।
4. उपेक्षा: बच्चे की बुनियादी जरूरतों (जैसे भोजन, शिक्षा) को अनदेखा करना।

संकेतक:

- शारीरिक संकेतक: चोट, गुप्तांगों में सूजन, या यौन रोग।
- यौन संकेतक: आयु-अनुपयुक्त यौन व्यवहार या टिप्पणियां।
- व्यवहारिक संकेतक: नींद की समस्या, सामाजिक अलगाव, या अवसाद।

परिणाम :

- मनोवैज्ञानिक प्रभाव: अवसाद, चिंता, या पोस्ट-ट्रॉमेटिक तनाव विकार।
- शारीरिक प्रभाव: स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे मोटापा या पुरानी बीमारियां।
- व्यवहारिक प्रभाव: अपराध में संलिप्तता या मादक द्रव्यों का दुरुपयोग।

7. अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा:

- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948): बच्चों को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता देती है।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UNCRC): बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करती है।
- अन्य उपकरण: जैसे जेनेवा घोषणा और ICESCR बच्चों के शिक्षा और सुरक्षा के अधिकारों पर जोर देते हैं।

8. POCSO और किशोर न्याय अधिनियम का संबंध :

POCSO और किशोर न्याय अधिनियम दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरक हैं। POCSO यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा करता है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम

बच्चों के पुनर्वास और देखभाल पर केंद्रित है। हालांकि, कुछ मुद्दे हैं:

- POCSO में सहमति के मुद्दे पर स्पष्टता की कमी है।
- किशोर न्याय अधिनियम में आयु निर्धारण के लिए दस्तावेजों का प्रावधान है, जो POCSO में अनुपस्थित है।
- लिंग-तटस्थता के बावजूद, मुआवजा दिशानिर्देश मुख्य रूप से महिला-केंद्रित हैं।

9. न्यायिक रुझान :

भारतीय न्यायपालिका ने बाल यौन शोषण के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ प्रमुख मामले:

- राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996): बलात्कार मामलों में पीड़ित के बयान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- साक्षी बनाम भारत सरकार (2004): बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं, जैसे इन-कैमरा सुनवाई और स्क्रीन का उपयोग, को बढ़ावा दिया।
- घनश्याम मिश्रा बनाम राज्य (1957): शिक्षक द्वारा विश्वास का दुरुपयोग करने पर कठोर सजा दी गई।
- स्वतंत्र विचार बनाम भारत सरकार (2017): 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार माना गया।

हाल के फैसलों में, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट (2021) में, यौन हमले की परिभाषा को संकीर्ण रूप से व्याख्या करने पर विवाद हुआ।

10. निष्कर्ष और सुझाव :

निष्कर्ष:

बाल यौन शोषण भारत में एक गंभीर समस्या है, और POCSO और किशोर न्याय अधिनियम इसे संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, कार्यान्वयन में कमियां, जैसे विशेष अदालतों की कमी, प्रशिक्षण की कमी, और सामाजिक कलंक, प्रभावशीलता को कम करते हैं। निचली अदालतों में केवल 4% मामलों का निपटारा होता है, और कई पीड़ित सामाजिक दबाव के कारण अपने बयान बदल देते हैं।

सुझाव:

1. सार्वजनिक जागरूकता: यौन शोषण के प्रति सामाजिक कलंक को तोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
2. रोकथाम कार्यक्रमों का मूल्यांकन: बच्चों को शोषण के संकेतों को पहचानने और रिपोर्ट करने के लिए शिक्षित करें।
3. वयस्कों पर जिम्मेदारी: रोकथाम का ध्यान बच्चों से वयस्कों और संस्थानों पर स्थानांतरित करें।
4. मानसिक स्वास्थ्य उपचार: यौन शोषण के पीड़ित बच्चों के लिए समय पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें।
5. कानूनी सुधार: सहमति की आयु को 16 वर्ष तक कम करें और 3-5 वर्ष की आयु अंतर की नीति लागू करें।

6. रिपोर्टिंग और जांच: बाल शोषण की शिकायतों के लिए प्रभावी और संवेदनशील तंत्र विकसित करें।
7. विशेष अदालतों की स्थापना: सभी राज्यों में विशेष अदालतें और अभियोजक नियुक्त करें।

संदर्भ सूची :

- महिला और बाल विकास मंत्रालय, "भारत में बाल शोषण पर अध्ययन: 2007"
- विश्व स्वास्थ्य संगठन, "बाल शोषण रोकथाम पर परामर्श रिपोर्ट, 1999"
- डॉ. प्रतीप राय, "भारत में बच्चों की स्थिति और बाल अधिकार" (2015)
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2017-2019 डेटा
- विभिन्न न्यायिक मामले, जैसे राज्य बनाम गुरमीत सिंह, साक्षी बनाम भारत सरकार, आदि।